सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 14/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00032

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री वगता पिता धुला मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
2. श्री हुडा पिता धुला मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
3. श्री उदा पिता धुला मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
4. श्रीमती प्यारी पत्नि वगता मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
5. श्रीमती लालकी पत्नि हुडा मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर
6. श्रीमती मोवनी पत्नि उदा मेघवाल, निवासी रोयडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा रोयडा, तहसील गोगुन्दा की आराजी संख्या 733/2, रकबा 0.0400 हेक्टेयर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा विपक्षीगण को दिनांक 10.02.2006 को किया गया था। जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या 496 के अनुसार आवंटीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में गैरखातेदारी हक से दर्ज है। विपक्षीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा नही रहा और न ही विपक्षीगण द्वारा कभी काश्त की गयी है। यह आवंटन शर्तो का उल्लंघन है। विपक्षीगण द्वारा आवंटन की निर्धारित शर्तो की पालना न करने से इन्हें दिनांक 10.02.2006 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री डालचन्द मेघवाल, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया,

किन्तु मामले में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के वाबजूद जवाब विपक्षीगण अप्राप्त रहने से प्रकरण में जवाब विपक्षीगण बन्द किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 436/2006 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण को आवंटित भूमि मौके पर पडत होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटी का गैर खातेदार होना खसरा गिरदावरी अनुसार मौके पर काश्त न होना आदि आधार पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त करने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार गोगुन्दा, प्रधान, सरपंच आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर मौजूद है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटी) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है, अर्थात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना नही की गयी है। आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करना अनिवार्य थी। किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की जाने से उक्त आराजी पर आवंटी का नाम आज भी गेरखातेदारी हक से दर्ज होना खसरा गिरदावरी एवं नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर हम विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा किया गया आवंटन, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में मौजा रोयडा तहसील गोगुन्दा की साबिक आराजी संख्या 733 रकबा 0.0400 हेक्टेयर पर किया गया आवंटन दिनांक 10.02.2006 को आवंटन शर्तो की पालना एवं कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर